



सराहनीय कार्य

इट्टावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 01.10.2025

#MISSION SHAKTI PHASE 5.0

उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत की गयी पहली कार्यवाही ।

इट्टावा पुलिस में नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों ने 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस 315 सहित किया गया द्वारा किया गया गिरफ्तार ,

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इट्टावा पुलिस थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:

उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की महत्वाकांक्षी पहल मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इट्टावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 30.09.2025 को थाना बकेवर पर गठित महिला सुरक्षा विशेष दल द्वारा थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत पटियन बम्बा तिराहा पर चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान 01 व्यक्ति आता दिखायी दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने को कहा गया तो पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा तभी तत्परता दिखाते हुये महिला पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ।

उक्त महिला पुलिस टीम द्वारा अपनी जान जोखिम में डालते हुये आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अंकुश पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम भिटारी थाना बकेवर जनपद इट्टावा उम्र 20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 318/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इट्टावा ।

बरामदगी:-

1. 01 तमन्चा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम: उ0नि0 श्री विपिन मलिक थानाध्यक्ष बकेवर, म0हे0का0 मिलन देवी, म0का0 पूजा पवार, म0का0 सपना ।